

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 01.09.2023

घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष राजघाट जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 337/2023 धारा 147,323,376,452,354ख, 354 भादसं0 व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बिट्टू गौड पुत्र सुरेश गौड निवासी ग्राम जमुआडे थाना सहनजनवा गोरखपुर हा0मु0 तुर्कमानपुर रामलीला मैदान (मुन्नी देवी के मकान में) थाना राजघाट गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिट्टू गौड पुत्र सुरेश गौड निवासी ग्राम जमुआडे थाना सहनजनवा गोरखपुर हा0मु0 तुर्कमानपुर रामलीला मैदान (मुन्नी देवी के मकान में) थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0- 337/2023 धारा 147,323,376,452,354ख,354 भादसं0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-थानाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह थाना राजघाट गोरखपुर
- 2-उ0नि0 शेर बहादुर यादव चौकी प्रभारी टीपीनगर थाना राजघाट गोरखपुर
- 3-उ0नि0 राजेन्द्र कुमार सिंह थाना राजघाट गोरखपुर
- 4- हे0कां0 शमशेर बहादुर सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 5-कां0 गुलफाम थाना राजघाट गोरखपुर